सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 10- जल उपभोक्ता समिति द्वारा जल अपराधों पर नियंत्रण

विषय 10.1 जल अपराध एवं उनकी परिभाषा

विषय -10.1

जल अपराध एवं उनकी परिभाषा

मॉड्यूल 10 के विषय :

10.1 जल अपराध एवं उनकी परिभाषा
10.2 जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण
10.3 नहर अपराध का प्रशमन, अपील एवं अनधिकृत उपयोग पर रोकथाम
10.4 जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय एवं विवाद समाधान

नहर प्रबंधन मे कतिपय अराजक तत्वों अथवा स्वार्थी कृषकों द्वारा नहरों पर अवांछित व अनधिकृत गतिविधियों के माध्यम से जल प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन प्राप्त करने के बाद इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का दायित्व जल उपभोक्ता समितियों का हो जाता है जिसके लिए जल उपभोक्ता समितियां सामाजिक भाई-चारे अथवा अधिनियम मे दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं।

10.1 जल अपराध की परिभाषा;

जल अपराध की रोक थाम करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जल अपराध है क्या? अगर हम मोटी भाषा मे कहे तो जिस गतिविधि से नहर प्रणाली को क्षति पहुंचे अथवा नहर के पानी के न्यायोचित वितरण में बाधा पड़ती हो वह अवांछित गति विधि है जिसे अपराध की श्रेणी मे रखा जा सकता है. लगभग सभी प्रदेशों के पिम अधिनियमों में निम्न गतिविधियों को अपराध की श्रेणी मे रखा गया है:

10.2 मुख्य जल अपराध -

1. किसी नहर अथवा जल निकास नाली को तोड़ना, नुकसान पहुँचाना, उसके आकार, सेक्शन के साथ छेड़-छाड़ करके उसे बढ़ाना या कम करना अथवा बाधित करना
2. किसी नहर अथवा जल निकासी मार्ग के जल प्रवाह अथवा जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करना अथवा जलापूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करना अर्थात् बंधा लगाना, पानी के लिए नहर काटना, अनाधिकृत कुलाबा लगाकर पानी लेना, तोड़ (लिफ्ट इरिगेशन) रीच में पम्पिंग से पानी लेना, स्वीकृत कुलाबों की साईज को बढ़ाना अथवा घटाना आदि,

चित्र- 1: नहर से छेड़छाड़ कर पानी का अनधिकृत प्रयोग

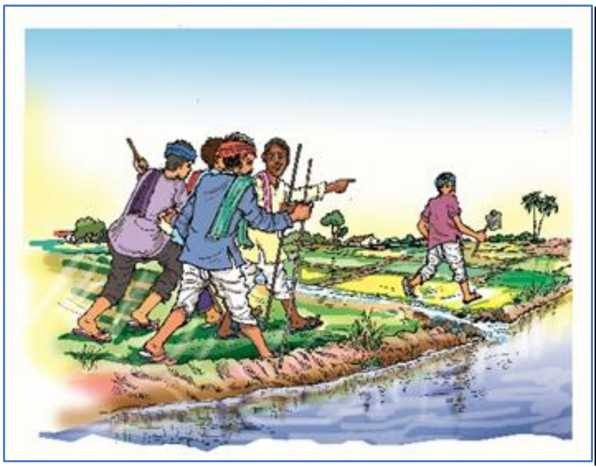

(3) जल की बर्बादी को रोकने के लिए सावधानी न रखना या उससे जल के प्राधिकृत वितरण के साथ हस्तक्षेप करना या ऐसे जल का अनाधिकृत रूप से उपयोग करना,

(4) किसी नहर के जल को खराब या मिलावट करना, जिससे वह सिंचाई के लिए कम उपयोगी हो जाए,

(5) नहरों अथवा नदियों मे बनाए गए वाटर गेज या किसी तल चिन्हों (बेड बार) को नष्ट करना अथवा हटाना (ऊँचा-नीचा करना),

(6) किसी नहर या जल निकासी मार्ग के किनारे या उसकी किसी संरचना के आर-पार जानवर या कोई वाहन नियमों के खिलाफ, पार करना अथवा पार कराना , उन स्थानों के अलावा जहाँ पशु घाट की व्यवस्था की गई हो अथवा इसके लिए सड़क बनाई गई हो.

(7) रोस्टर या वाराबंदी में बाधा डालना,

(8) नहर अथवा जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण अथवा नहरी परिसम्पत्तियों अथवा शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना,

उपरोक्त मे से कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी मे माना जायगा। उसको करने वाला व्यक्ति अथवा कंपनी/ संस्था दंड की भागी होगी। किसी कंपनी / संस्था द्वारा अपराध करने पर उसके उच्चतम अधिकारी को दण्डित किया जाएगा.

अपनी जानकारी की जांच करें:
मुख्य नहर अपराधों में से किन्हीं चार अपराधों को याद कर के लिखें तथा उपरोक्त प्रस्तर 10.2 से मिलान कर सही उत्तर की पुष्टि करें ।